सं0-21/2018/346/29-3-2018-जी 26/2002

प्रेषक,

निवेदिता शुक्ला वर्मा,
प्रमुख सचिव
उ0प्र0 शासन

सेवा में,

आयुक्त,
खाद्य एवं रसद विभाग
जवाहर भवन लखनऊ।

खाद्य एवं रसद अनुभाग-3 लखनऊ दिनांक 02 मई, 2018

विषय-खाद्य तथा रसद विभाग उ0प्र0 में खाद्यान्न, बोरा व डेड स्टाक आदि के भण्डारण हेतु किराये पर लिये गये गोदामों के किराये की स्वीकृति के संबंध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक अपने पत्र सं0-ले0शा0/1920/टी.सी./2010/अधिकारों का प्रतिनिधायन दिनांक 01-2-2018, पत्र सं0-ले0शा0/2119/टी.सी./2010/अधिकारों का प्रतिनिधायन दिनांक 8-3-2018 तथा पत्र सं0-ले0शा0/2580/टी.सी./2010/अधिकारों का प्रतिनिधायन दिनांक 22-3-2018 का कृपया संदर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें।

2- इस संबंध में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि किराया स्वीकृति की जटिल प्रक्रिया के कारण गोदाम किराया स्वीकृति/वृद्धि में आने वाली व्यावहारिक कठिनाइयों के फलस्वरूप स्वीकृति में होने वाले विलम्ब, अनावश्यक मुकदमेबाजी, संभागीय खाद्य नियंत्रक, जिलाधिकारी एवं मण्डलायुक्त के प्रशासकीय समन्वय, गोदाम किराये पर लेने की प्रक्रिया को सरल बनाने एवं विकेन्द्रीकृत करने के उद्देश्य से गोदाम किराया संबंधी वर्तमान में प्रचलित समस्त शासनादेशों को अवक्रमित करते हुए नये एवं पुराने सभी प्रकरणों में एक प्रक्रिया लागू कर किराया स्वीकृति के अधिकार जिलाधिकारी एवं मण्डलायुक्त को दिये जाने हेतु निम्नवत व्यवस्था लागू किये जाने की श्री राज्यपाल सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं :-

(1) संभागीय खाद्य नियंत्रक, जिलाधिकारी एवं मण्डलायुक्त को कतिपय शर्तों एवं प्रतिबन्धों के अधीन निम्नलिखित तालिका में दी गयी दरों एवं सीमाओं के अन्तर्गत अधिकारों का प्रतिनिधायन:-

क्र0	किराये की स्वीकृति देने वाले अधिकारी का पदनाम	किराये की दर सीमा प्रति 100 बोरा	अधिकतम मासिक किराया
1	संभागीय खाद्य नियंत्रक	रू0 160.00	रू0 16000.00
3	जिलाधिकारी	रू0 320.00	कोई वित्तीय सीमा नहीं।
4	मण्डलायुक्त	रू0 320.00 से अधिक	कोई वित्तीय सीमा नहीं।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

(2) विकास खण्ड में एन0एफ0एस0ए0 में खाद्यान्न के मासिक आवंटन व डेड स्टाक आदि भण्डारण हेतु मासिक आवंटन से 20 प्रतिशत अधिक क्षमता के गोदाम किराये पर लिये जा सकेंगे।

(3)- यदि शासकीय एवं अर्द्धशासकीय गोदाम किराये पर उपलब्ध न हो तभी प्राइवेट गोदाम किराये पर लिये जा सकेंगे। इस हेतु संबंधित जिला खाद्य विपणन अधिकारी व संभागीय खाद्य नियंत्रक द्वारा संयुक्त रूप से प्रमाण पत्र देना होगा।

(4) पारदर्शिता व प्रतिस्पर्धा हेतु प्रदेश स्तरीय दो प्रतिष्ठित समाचार पत्रों में विज्ञापन के माध्यम से गोदाम किराये पर लेने हेतु प्रस्ताव आमंत्रित किये जायेंगे।

(5) प्रत्येक विकास खण्ड में मासिक आवंटन के अनुरूप ही गोदाम किराये पर लिये जाये तथा वास्तविक आवश्यकता से अधिक क्षमता के गोदाम किराये पर न लिये जाये। डेड स्टाक के नाम पर भी आवश्यकता से अधिक क्षमता के गोदाम कदापि विभाग की किरायेदारी में न लिये जायें। यदि डेड स्टाक के भण्डारण की आवश्यकता हो तो औचित्यपूर्ण प्रस्ताव प्रस्तुत करके मण्डलायुक्त की अनुमति प्राप्त कर गोदाम किराये पर लिया जाये एवं यदि आवश्यकता से अधिक क्षमता के गोदाम किरायेदारी में उपलब्ध है, तो उन्हें नियमानुसार 03 माह के अन्दर किरायेदारी से अवमुक्त दिया जाये। आवश्यकता से अधिक क्षमता के तथा मण्डलायुक्त की अनुमति के बिना गोदामों को विभाग की किरायेदारी में लेने/बनाये रखने की दशा में संबंधित जिला खाद्य विपणन अधिकारी का उत्तरदायित्व निर्धारित कर किराये के रूप में भुगतान की जाने वाली धनराशि की वसूली के संबंध में कार्यवाही की जायेगी।

(6) नये गोदाम में विपणन निरीक्षक के कार्यालय की भी व्यवस्था रखी जाय तथा शौचालय भी अनिवार्य रूप से उपलब्ध हो।

(7) जहां छोटे-छोटे कमरों के रूप में कई स्थानों पर गोदाम उपलब्ध हैं अथवा आवंटन से कम क्षमता के गोदाम उपलब्ध है वहां अतिरिक्त/नवीन गोदाम एक ही परिसर में किराये पर लिये जाये, जिनमें सुव्यवस्थित एवं वैज्ञानिक भण्डारण संभव हो।

(8) विज्ञापन से प्राप्त प्रस्ताव का परीक्षण करने हेतु संभागीय खाद्य नियंत्रक की अध्यक्षता में एक कमेटी गठित की जायेगी, जिसके सदस्य जिला खाद्य विपणन अधिकारी, वरिष्ठ/संभागीय लेखाधिकारी एवं संबंधित जनपद के जिला पूर्ति अधिकारी होंगे।

(9) गोदाम का किराया सक्षम स्तर से स्वीकृत होने के उपरान्त ही गोदाम का कब्जा विभाग द्वारा लिया जाएगा।

(10) विभाग की किरायेदारी में लिये जाने वाले गोदाम किसी निवास स्थान एवं दुकान का भाग न हो और ये गोदाम संचालित चावल/फ्लोर मिल परिसर से कम से कम 200 मीटर दूर एवं यथा संभव घनी आबादी से दूर स्थित होना चाहिए।

http://shasanadesh.up.nic.in

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

(11) किरायेदारी में लिये जाने वाले गोदाम का सम्पर्क मार्ग गोदाम पर ट्रक पहुॅचने के लिये उपयुक्त होना चाहिए। गोदाम ऐसे स्थान, जहां पानी इत्यादि जमा होने तथा आग आदि से खतरा न हो, पर स्थित होना चाहिए।

(12) गोदाम वैध भूमि, जिस पर गोदाम स्वामी का विधिक कब्जा हो, पर स्थित होना चाहिए और गोदाम किसी संस्था अथवा बैंक के पास बन्धक नहीं होना चाहिए।

(13) गोदाम किराये की स्वीकृति का प्रस्ताव संलग्न प्रारूप पर प्रस्तुत किया जाय तथा गोदाम स्वामी से अनुबन्ध संलग्न/नियत फार्म 30 एच(निजी गोदामों के सरकारी प्रयोग में लाये जाने हेतु मानक पट्टा (STANDARD LEASE) Amendment to Financial Hand Book Volume-v Part 1 में निर्धारित फार्म 30 एच) पर कराया जाय। सरकारी/अर्द्धसरकारी गोदाम किराये पर लेने की स्थिति में यदि संस्थाए फार्म 30 एच पर अनुबन्ध करने से लिखित रूप से मना करती है, तो संभागीय खाद्य नियंत्रक की अनुमति से संस्था के निर्धारित प्रारूप पर भी अनुबन्ध किया जा सकेगा।

(14) गोदाम को किराये पर लेने के पश्चात उस गोदाम के किराये के पुनरीक्षण हेतु न्यूनतम अवधि 05 वर्ष होगी। निर्धारित 05 वर्ष की अवधि के पश्चात किराया वृद्धि के प्रकरणों में स्वीकृत किराये के 20 प्रतिशत तक की वृद्धि अथवा किराया वृद्धि हेतु जिलाधिकारी द्वारा निर्गत किराया औचित्य प्रमाण पत्र की धनराशि, जो भी कम हो, के आधार पर किराया वृद्धि की जाय। प्रचलित शासनादेश दिनांक 14-7-2015 से जो गोदाम किराये पर लिए गये है, यह सीमा उन गोदामों पर लागू होगी। किराया वृद्धि के प्रस्तावों को स्वीकृत करने का अधिकार पूर्व में किराया स्वीकृत करने वाले अधिकारी के अगले स्तर पर होगा किन्तु यदि पूर्व में यह अधिकार आयुक्त खाद्य एवं रसद अथवा शासन को था तो वर्तमान में गोदाम किराया वृद्धि की स्वीकृति का अधिकार मण्डलायुक्त में निहित किया जाता है।

(15) दिनांक 14-7-2015 से पूर्व के किराया वृद्धि के प्रकरणों में प्रस्ताव को स्वीकृत करने का अधिकार मण्डलायुक्त को होगा जो किराया वृद्धि के प्रस्तावों को गुण-दोष के आधार पर परीक्षण कर स्वीकृति देंगे।

(16) गोदाम का किराया जिलाधिकारी द्वारा निर्गत किराया औचित्य प्रमाण पत्र के आधार पर स्वीकृत किया जायेगा। जिलाधिकारी किराया औचित्य प्रमाण पत्र का निर्गमन 100 किग्रा0 का एक बोरा अथवा 50-50 किग्रा0 के दो बोरों के आधार पर सुनिश्चित करायेंगे। सरकारी/अर्द्धसरकारी संस्था का गोदाम किराये पर लेने की स्थिति में जिलाधिकारी द्वारा निर्गत किराया औचित्य प्रमाण पत्र की आवश्यकता नहीं होगी और इन्हें संस्था द्वारा निर्धारित किराये पर लिया जा सकेगा।

(17) जिलाधिकारी सुनिश्चित करेंगे कि किराया औचित्य प्रमाण पत्र शीघ्रता से विलम्बतम 01 माह में निर्गत कर दिया जाय।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।
http://shasanadesh.up.nic.in

(18) रेलवे रैक से बोरों की गांठ प्राप्त होने पर तथा खाद्यान्नों के संग्रहण हेतु गोदामों को किराये पर लिये जाने हेतु किराया औचित्य प्रमाण पत्र सहित अन्य समस्त औपचारिकताए पूर्ण करने के पश्चात ही विभागीय किरायेदारी में गोदाम लिये जायेंगे। गोदाम किराये पर लेने से पूर्व यह सुनिश्चित कर लिया जायेगा कि विकास खण्ड में उपलब्ध पूर्व आवंटन की क्षमताका पूर्ण भण्डारण हो रहा है।

(19) गोदाम का किराया जिस स्तर से स्वीकृत किया गया हो उस स्तर से ही किरायेदारी से मुक्त किया जा सकेगा। इस आदेश के निर्गत होने के पूर्व किराये पर लिये गये गोदाम यदि खाद्यायुक्त/शासन स्तर से स्वीकृत किये गये हैं तो उन्हें मण्डलायुक्त स्तर से किरायेदारी से मुक्त किया जा सकेगा।

(20) गोदाम जो कि विभाग की किरायेदारी में वर्तमान में चल रहे हैं किन्तु उनकी किराया स्वीकृति/किराया वृद्धि अभी तक नहीं हुई है, उन प्रकरणों में संभागीय खाद्य नियंत्रक जिलाधिकारी व मण्डलायुक्त इस आदेश में अनुमन्य अधिकार सीमा तक स्वीकृत कर सकेंगे।

(21) गोदाम किरायेदारी से अवमुक्त करने की स्थिति में गोदाम खाली होने के विलम्बतम एक माह के अन्दर सक्षम स्तर से जिला खाद्य विपणन अधिकारी/ संभागीय खाद्य विपणन नियंत्रक द्वारा गोदाम को अवमुक्त कराने की कार्यवाही की जायेगी। यदि पुराने गोदाम बहुत कम किराये पर हैं तो उसे सामान्य स्थिति में रिक्त न किया जाय।

(22) प्रत्येक गोदाम के किराये की स्वीकृति के प्रस्ताव के साथ इस आशय का प्रमाण पत्र अवश्य देंगे कि जिस तिथि से गोदाम का किराया स्वीकृत करने का प्रस्ताव किया जा रहा है, उस तिथि से वास्तविक रूप में उस गोदाम का उपयोग किया गया है। प्रमाण पत्र देने हेतु गोदाम प्रभारी व जिला खाद्य विपणन अधिकारी जिम्मेदार होंगे।

(23) गोदाम किराये की स्वीकृति का प्रस्ताव पूर्व निर्धारित प्रारूप पर वांछित सूचना के साथ ही प्रेषित किये जाये।

(24) संभागीय खाद्य नियंत्रक द्वारा गोदाम के किराये की स्वीकृति के उपरान्त गोदाम की सूचना विभागीय पोर्टल पर अपलोड कर दी जाय।

(25) गोदाम का कब्जा लेने व कब्जे से अवमुक्त करने की कार्यवाही सदिनांक गोदाम स्वामी व विपणन निरीक्षक/क्षेत्रीय विपणन अधिकारी द्वारा संयुक्त हस्ताक्षर से सम्पादित करायी जायेगी, जिसे जिला खाद्य विपणन अधिकारी द्वारा प्रतिहस्ताक्षरित किया जायेगा।

(26) गोदाम का किराया निर्धारण हेतु गोदाम की क्षमता का ऑकलन निम्न सूत्र के अनुसार किया जायेगा:-

(अ) जिलाधिकारी द्वारा निर्गत किराया औचित्य प्रमाण पत्र में किराये का निर्धारण निम्न प्रकार किया जायेगा:-

गोदाम का कुल किराया प्रति माह = गोदाम का कुल क्षेत्रफल x सर्किल रेट(फिट में)

गोदाम की कुल क्षमता (बोरों में) = <u>लम्बाई **x** चौडाई **x** ऊँचाई (फिट में)</u>

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।
http://shasanadesh.up.nic.in

किराया प्रति बोरा/प्रतिमाह = गोदाम का कुल किराया प्रतिमाह / गोदाम की कुल क्षमता (बोरों में)

(ब) गोदाम के किराये का भुगतान/स्वीकृति- गोदाम की वास्तविक भण्डारण क्षमता अथवा केन्द्र का मासिक आवंटन (जितनी भण्डारण क्षमता के लिये विज्ञप्ति प्रकाशित की गयी हो), जो भी कम हो, के आधार पर भुगतान किया जाए।

वास्तविक भण्डारण क्षमता का ऑकलन-

(i)- वास्तविक भण्डारण क्षमता- = लम्बाई**X**चौड़ाई(फिट में) X16 / 6

(छल्लियों की संख्या किसी भी दशा में 16 बोरे से अधिक नहीं होनी चाहिए)

उदाहरण- यदि किसी गोदाम की लम्बाई 100 फिट, चौड़ाई 60 फिट एवं ऊॅचाई 20फिट है तो गोदाम की वास्तविक भण्डारण क्षमता निम्नवत होगी:-

गोदाम की वास्तविक भण्डारण क्षमता = 100X60(फिट में)X16 / 6 =16000 बोरे

(16000 बोरे - 100 किग्रा0 का बोरा होने की स्थिति में किराया निर्धारण हेतु वास्तविक भण्डारण क्षमता 16000 बोरा होगी तथा 50 किग्रा0 का बोरा होने की स्थिति में वास्तविक भण्डारण क्षमता का दो गुना अर्थात 16000X2=32000 बोरे रखे जा सकते हैं)

(ii)- गोदाम की वास्तविक ऊॅचाई 16 फिट से कम है तो तदनुसार छत से 4 फिट की सीमा को छोड़कर गोदाम की वास्तविक भण्डारण क्षमता का ऑकलन किया जाय।

= लम्बाई**X**चौडाई**X**ऊॅचाई (वास्तविक ऊॅचाई-4) / 6

उदाहरण- यदि किसी गोदाम की लम्बाई 100 फिट, चौड़ाई 60 फिट एवं ऊॅचाई 16फिट है तो गोदाम की वास्तविक भण्डारण क्षमता निम्नवत होगी:-

गोदाम की वास्तविक भण्डारण क्षमता = 100X60(फिट में)X12 / 6 = 12000 बोरे

(iii) **गोदाम के किराये का भुगतान/स्वीकृति-**

उदाहरण- यदि किसी गोदाम की वास्तविक भण्डारण क्षमता 16000 बोरे तथा केन्द्र का मासिक आवंटन (जितनी भण्डारण क्षमता के लिये विज्ञप्ति प्रकाशित की गयी हो) 12000 बोरे हो तथा जिलाधिकारी द्वारा निर्गत किराया औचित्य प्रमाण पत्र रू0 400.00 प्रति सैकड़ा बोरा प्रति माह की दर से निर्गत किया गया हो तो गोदाम के किराये का निर्धारण निम्नानुसार ऑकलित किया जायेगा:-

वास्तविक भण्डारण क्षमता-16000 बोरे

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.nic.in

मासिक आवंटन-12000 बोरे

किराया औचित्य प्रमाण पत्र रू0 400.00 प्रति सैकड़ा बोरा प्रतिमाह

चूंकि मासिक आवंटन वास्तविक भण्डारण क्षमता से कम है अतः गोदाम का किराया मासिक आवंटन 12000 बोरे की दर पर निर्धारित होगा:-

$$\text{गोदाम का किराया प्रति माह} = \frac{12000 \times 400}{100} = 48000 \text{ प्रतिमाह}$$

(स) उपर्युक्त व्यवस्था निम्नलिखित शर्तों एवं प्रतिबन्धों के अधीन होगी:-

(i) केन्द्र के मासिक आवंटन के अनुरूप ही गोदाम किराये पर लिये जाने की कार्यवाही सुनिश्चित की जाय, जिसमें विभिन्न योजनाओं के खाद्यान्न भण्डारण/ आवंटन, बोरों का भण्डारण, डेड स्टाक इत्यादि के दृटिगत मासिक आवंटन से 20 प्रतिशत अधिक क्षमता तक की विज्ञप्ति ही प्रकाशित की जा सकती है।

(ii) विभाग द्वारा जिलाधिकारी से किराया औचित्य प्रमाण पत्र बिन्दु (अ) के आधार पर किराया प्रति बोरा/प्रति माह के आधार पर लिया जाय।

(iii) गोदाम के किराये की गणना किराया स्वीकृतिकर्ता अधिकारी के स्तर पर जिलाधिकारी द्वारा निर्गत किराया औचित्य प्रमाण पत्र के आधार पर की जाय।

3- कृपया उपर्युक्त व्यवस्था का कड़ाई से अनुपालन सुनिश्चित किया जाय।

संलग्नक-यथोक्त।

भवदीय,

(निवेदिता शुक्ला वर्मा)
प्रमुख सचिव।

http://shasanadesh.up.nic.in

संख्या एवं दिनांक तदैव।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित : -

1- महालेखाकार उ0प्र0 इलाहाबाद।

2- समस्त मण्डलायुक्त, उ0प्र0।

3- समस्त जिलाधिकारी, उ0प्र0।

4- समस्त संभागीय खाद्य नियंत्रक, उ0प्र0।

6- समस्त जिला खाद्य विपणन अधिकारी, उ0प्र0।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

7- वित्त नियंत्रक/मुख्य लेखाधिकारी(मु0) खाद्य एवं रसद विभाग, जवाहर भवन उ0प्र0 लखनऊ।

8- समस्त क्षेत्रीय लेखाधिकारी, खाद्य एवं रसद विभाग, उ0प्र0।

9- वित्त (लेखा)अनुभाग-2 उ0प्र0 शासन।

10- गार्ड बुक।

आज्ञा से,

(ए0पी0 त्रिपाठी)
संयुक्त सचिव।

http://shasanadesh.up.nic.in

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

शासनादेश सं0-21/2018/346/2018/29-3-2018-जी 26/2002 दिनांक 02-5-2018 का संलग्नक

गोदाम किराये की स्वीकृति हेतु प्रस्ताव भेजने का प्रारूप पत्र

1- केन्द्र एंव जिले का नाम-

2- गोदाम तथा गोदाम की संख्या–

3- गोदाम के स्वामी का नाम व पता-

4- गोदाम को किराये पर लेने की मूल तिथि-

5- अवधि जिसके लिये स्वीकृति अपेक्षित है-

6- गोदाम के किराये पर लेने/लिये रहने (रिटेन करने का कारण)-

7- इस तथ्य का प्रमाण पत्र कि केन्द्र पर कोई गोदाम इससे कम किराये पर नहीं उपलब्ध था-

8- गोदाम की लम्बाई, चौड़ाई एवं ऊंचाई सभी फिट में हो-

9- गोदाम मे लगाई जाने वाली छल्लियों की वास्तविक संख्या-

10- गोदाम की क्षमता-

11- मासिक किराये की दर प्रति सैकड़ा बोरा-

12- गोदाम की स्थिति-

(क) छत कच्ची/पक्की या टीन शेड-

(ख) फर्श कच्चा या पक्का–

(ग) इमारत कितनी पुरानी है-

(घ) गोदाम दिनांक 31-7-72 से पहले की बनी है अथवा बाद की-

(ड़) गोदाम कहां एवं नगर के किस क्षेत्र में स्थित है-

13- क्या गोदाम शासनादेश सं0-594/9-ए-125/72 दिनांक 31-7-1972 में दिये गये निर्देशो के अनुसार सार्वजनिक निर्माण विभाग द्वारा अनुमोदित वैज्ञानिक ढंग से बना है, यदि हॉ तो इस संबंध में सार्वजनिक निर्माण विभाग से प्राप्त किया गया प्रमाण पत्र प्रेषित किया जाय-

14- गोदाम को किराये पर लेने का पूर्ण औचित्य दिया जाय तथा प्रश्नगत गोदाम को किराये पर लेने हेतु सक्षम स्तर से प्राप्त की गयी अनुमति/आदेश की प्रति उपलब्ध करायी जाय-

http://shasanadesh.up.nic.in

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

15- यदि प्रस्ताव गोदाम को किराये पर लेने के वित्तीय वर्ष की समाप्ति के बाद भेजा गया है तो उसका कारण स्पष्ट किया जाय-

16- गोदाम को किराये पर लेने वाले माह में भण्डारित मात्रा का विवरण-

17- प्रस्तावित गोदाम को किराये पर लेने से पूर्व इस केन्द्र से संबंधित स्टॉक का भण्डारण कहॉ पर होता था-

18- यदि किसी अवधि का कोई किराया भुगतान किया गया हो तो उसका विवरण भी दिया जाय-

19- प्रस्तावित गोदाम से किस विकास खण्ड को सेवाएं मिलेगी तथा उस विकास खण्ड में प्रस्तावित गोदाम के अतिरिक्त और कितने गोदाम, कहॉ पर तथा कितनी भण्डारण क्षमता के वर्तमान में विभाग की किरायेदारी में है और केन्द्र का मासिक आवंटन कितना है-

20- प्रस्ताव के साथ जिलाधिकारी/संभागीय खाद्य नियंत्रक से इस आशय का प्रमाण पत्र प्राप्त कर उपलब्ध कराया जाय कि जिस तिथि से गोदाम का किराया स्वीकृति करने का प्रस्ताव किया जा रहा है उस तिथि से वास्तविक रूप से उस गोदाम का उपयोग किया गया है-

21- केन्द्र के मासिक आवंटन से अधिक क्षमता का गोदाम विभाग की किरायेदारी में लेने तथा बनाये रखे जाने का स्पष्ट औचित्य कारण सहित दिया जाय-

22- यदि केन्द्र पर विभाग की किरायेदारी में लिये गये गोदाम के अतिरिक्त कोई गोदाम पूर्व में चल रहा हो तो उसे मुक्त किये जाने के संबंध में भी प्रमाण प्रस्ताव के साथ उपलब्ध कराये-

http://shasanadesh.up.nic.in

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।